भीमें

जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ऑफिसः द्वितीय तल, पुराना महिला हॉस्टल, पुलिस मुख्यालय के पास, लालकोठी, जयपुर-302015

दूरभाषः 0141-2744562, 2744776 • Website: transport.rajasthan.gov.in/jctsl • Email: jctsl.bus@gmail.com

क्रमांकः जेसीटीएसएल/प्रनि/याता/डी- 1437 दिनांकः 23 / 08 / 2024

कार्यालय आदेश

जेसीटीएसएल बसों में निरीक्षण के संबंध में पत्रांक प्र.नि./जे.सी.टी.एस.एल/2012/डी-1880 दिनांक 27.03.2012 द्वारा यात्री फाल्ट नियम को जेसीटीएसएल द्वारा संचालित बसों पर लागू करने एवं आदेश क्रमांक डी-443 दिनांक 30.05.2023 द्वारा निरीक्षण व्यवस्था हेतु निम्न निर्देश जारी किये गये हैं:-

"जिसके अनुसार बस निरीक्षण के दौरान बिना टिकिट यात्रा करते पाये जाने वाले सभी यात्रियों से अधिभार राशि वसूल की जावे, चाहे ऐसे यात्रियों द्वारा परिचालक को किराया राशि का भुगतान निरीक्षण के पूर्व कर दिया गया हो या नहीं किया गया हो, दोनों ही परिस्थितियों में यात्री को दोषी मानते हुये अधिभार राशि आवश्यक रुप से वसूली जावे।"

अतः उक्त की निरन्तरता में जेसीटीएसएल की बसों की चैकिंग हेतु प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है, कि उक्त निर्देशानुसार ही बसों की चैकिंग का कार्य सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।

23-8-2024

प्रबन्ध निदेशक
जेसीटीएसएल,जयपुर

क्रमांकः जेसीटीएसएल/प्रनि/याता/डी- 1437 दिनांकः 23 / 08 / 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक,प्रबन्ध निदेशक,जेसीटीएसएल,जयपुर।
2. मुख्य वित्तीय अधिकारी,जेसीटीएसएल,जयपुर।
3. आगार प्रबंधक,टोडी/बगराना आगार,जेसीटीएसएल,जयपुर।
4. समस्त उडनदस्ता प्रभारी,जेसीटीएसएल,जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है, कि उक्त की पालना सुनिश्चित करें।
5. नोटिस ब्रोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी
जेसीटीएसएल,जयपुर